संख्या- 50 /2026/ 351 /चार-2026-1904122

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 09 फरवरी, 2026**

विषय- बाबा घुइसरनाथ धाम, प्रतापगढ़ में दिनांक 14, 15 व 16 फरवरी, 2026 की अवधि में आयोजित होने वाले 31वें त्रिदिवसीय राष्ट्रीय एकता महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4166/सं0नि0-15(122)/2025-26, दिनांक 29 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सुश्री आराधना मिश्रा 'मोना' मा0 नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 27.01.2026 द्वारा बाबा घुइसरनाथ धाम, प्रतापगढ़ में दिनांक 14, 15 व 16 फरवरी, 2026 की अवधि में आयोजित होने वाले 31वें त्रिदिवसीय राष्ट्रीय एकता महोत्सव में ख्यातिप्राप्त कलाकारों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि निदेशालय के पूर्व पत्र संख्या-3995/सं0नि0-15(122)/2025-26, दिनांक 14 जनवरी, 2026 तथा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-1179/ए0जी0सी0-2025 दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या- 23 /2026/ 170 /चार-2026-1904122 दिनांक 23 जनवरी, 2026 द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रम हेतु रू0 2.20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त के संबंध में निम्नानुसार कलाकारों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है:-

क्र0	कलाकार	कार्यक्रम	अवसर/ श्रेणी	मानदेय	किराया	कुल धनराशि
1	श्री रितेश पाण्डेय, मुम्बई	लोक गायन	प्रथम/ अति विशिष्ट श्रेणी	5,30,000.00 + 95400 (18% GST)	1,00,000.00	7,25,400.00
2	सुश्री पर्णिका श्रीवास्त्व, लखनऊ	लोक नृत्य	प्रथम / गैर श्रेणी	40,000.00	15,000.00	55,000.00
3	सुश्री वंदना श्री, मथुरा	फूलों की होली/ मयूर नृत्य	द्वितीय/ विशिष्ट श्रेणी	2,00,000.00	80,000.00	2,80,000.00
कुल योग (रू0 दस लाख साठ हजार चार सौ मात्र)						10,60,400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाबा घुइसरनाथ धाम, प्रतापगढ़ में दिनांक 14, 15 व 16 फरवरी, 2026 की अवधि में आयोजित होने वाले 31वें त्रिदिवसीय राष्ट्रीय एकता महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर होने वाले व्यय **रू0 2.20 लाख (रूपये दो लाख बीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक **शासनादेश संख्या- 23 /2026/ 170 /चार-2026-1904122 दिनांक 23 जनवरी, 2026 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है** तथा पत्र संख्या-4166/सं0नि0-15(122)/2025-26, दिनांक 29 जनवरी, 2026 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त बाबा घुइसरनाथ धाम, प्रतापगढ़ में दिनांक 14, 15 व 16 फरवरी, 2026 की अवधि में आयोजित होने वाले 31वें त्रिदिवसीय राष्ट्रीय एकता महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु निम्नलिखति विवरणानुसार **रू0 8.15 लाख (रूपये आठ लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	कलाकार	कार्यक्रम	अवसर/ श्रेणी	मानदेय	किराया	निदेशालय द्वारा प्रस्तावित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि
1	श्री रितेश पाण्डेय, मुम्बई	लोक गायन	प्रथम/ अति विशिष्ट श्रेणी	5,30,000.00 + 95400 (18% GST)	1,00,000.00	7,25,400.00	4,80,000.00
2	सुश्री पर्णिका श्रीवास्त्व, लखनऊ	लोक नृत्य	प्रथम / गैर श्रेणी	40,000.00	15,000.00	55,000.00	55,000.00
3	सुश्री वंदना श्री, मथुरा	फूलों की होली/ मयूर नृत्य	द्वितीय/ विशिष्ट श्रेणी	2,00,000.00	80,000.00	2,80,000.00	2,80,000.00
			कुल योग			10,60,400.00	**8,15,000.00**

3. <u>शर्तें/ प्रतिबन्ध :-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
https://shasanadesh.up.gov.in

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 50 /2026/ 351 (1)/ चार-2026-1904122, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।